

## प्राविधिक शिक्षा मण्डल राजस्थान,

डब्ल्यू-6 रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर

### राजस्थान के पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों, संस्थानों / पाठ्यक्रमों की प्राविधिक शिक्षा मण्डल से सम्बद्धता हेतु नियम

#### 1. संक्षिप्त नाम एंव कार्य क्षेत्र :

- 1.1 नियमों का नाम : प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, सम्बद्धता नियम।
- 1.2 कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण राजस्थान राज्य होगा।
- 2. परिभाषायें :

  - 2.1 मण्डल : जब तक संदर्भ से अन्यथा न हो इन नियमों में :-
  - 2.2 अध्यक्ष : मण्डल से अभिप्राय राजस्थान राज्य सरकार द्वारा गठित प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर से है।
  - 2.3 सचिव : अध्यक्ष से अभिप्राय मण्डल के अध्यक्ष पदेन निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर से है।
  - 2.4 राज्य सरकार : सचिव से अभिप्राय मण्डल के संयुक्त निदेशक एंव सचिव से है।
  - 2.5 निदेशक : राज्य सरकार से अभिप्राय सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से है।
  - 2.6 डिप्लोमा पाठ्यक्रम : निदेशक से अभिप्राय निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर से है।
  - 2.7 एडवान्स डिप्लोमा पाठ्यक्रम : डिप्लोमा पाठ्यक्रम से अभिप्राय 2/3/3) वर्ष के इंजीनियरिंग/नॉन इंजीनियरिंग/पैरा मेडिकल की मण्डल से मान्यता प्राप्त शाखा में नियमित डिप्लोमा पाठ्यक्रम से है।
  - 2.8 सम्बद्ध संस्थान : एडवान्स डिप्लोमा पाठ्यक्रम से अभिप्राय 1/1) वर्ष के इंजीनियरिंग/नॉन इंजीनियरिंग/पैरा मेडिकल की मण्डल से मान्यता प्राप्त शाखा में नियमित एडवान्स डिप्लोमा पाठ्यक्रम से है।
  - 2.9 सम्बद्ध संस्थान : सम्बद्ध संस्थान से अभिप्राय राजस्थान राज्य में उन सभी संस्थानों से हैं जिन्हें मण्डल द्वारा डिप्लोमा अथवा अन्य पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्राप्त हो एंव जिनकी परीक्षाएँ मण्डल द्वारा आयोजित करवाई जा रहीं हैं।

- 2.9 परिषद् : परिषद् से अभिप्राय अखिल तकनीकी शिक्षा परिषद् मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार से है।
- 2.10 सम्बद्धता प्राप्त पाठ्यक्रम : सम्बद्धता प्राप्त पाठ्यक्रम से अभिप्राय मण्डल द्वारा सम्बद्धता प्राप्त संस्थानों में चलाये जा रहे पाठ्यक्रम से है जिसे मण्डल द्वारा सम्बद्धता प्रदान की गई हो।
- 2.11 पंजीकृत सोसाइटी / ट्रस्ट : पंजीकृत सोसाइटी / ट्रस्ट से अभिप्राय राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1956 के अधीन पंजीकृत समिति से है।
- 2.12 प्रबंध समिति : प्रबंध समिति से अभिप्राय अधिनियम के अधीन गठित प्रबंध समिति से है और उसके सचिव या किसी भी नाम पदानिहित कोई ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जिसमें संस्था के काम काज का प्रबंध और संचालन करने का प्राधिकार ट्रस्ट द्वारा निहित हो।

### 3. संस्थान/ पाठ्यक्रम की सम्बद्धता :

- 3.1 संस्थान में प्रवेश से पूर्व प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए मण्डल की सम्बद्धता प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 3.2 मण्डल से सम्बद्धता चाहने वाले अराजकीय संस्थान जिस सोसाइटी से सम्बद्ध हो वह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत होनी चाहिए।
- 3.3 आवेदन :
- 3.3.1 सम्बद्धता चाहने वाले संस्थानों को परिशिष्ट-1 में दिये गये प्रारूप में सचिव के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 3.3.2 आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न होने चाहिए-
1. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त अनुमति पत्र
  2. राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति पत्र
  3. सोसाइटी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र
  4. निर्धारित सम्बद्धता शुल्क का कार्यालयाध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा मण्डल राजस्थान, जोधपुर के नाम का डिमाण्ड ड्राफ्ट।
- 3.3.3 सम्बद्धता के नियम निजी संस्थानों के साथ राजकीय संस्थानों में स्व वित्त पोषी आधार पर चल रहे पाठ्यक्रमों के लिए भी लागू होंगे। इन पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता हेतु सम्बन्धित प्रधानाचार्य आवेदन करेंगे।

### 3.4 निरीक्षण :

- 3.4.1 सचिव की अनुशंसा पर अध्यक्ष द्वारा गठित निरीक्षण समिति संस्थान में यह निरीक्षण करेगी कि संस्थान मण्डल की पाठ्यवर्या एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप सुसज्जित हैं।
- 3.4.2 समिति निरीक्षण की रिपोर्ट सचिव को प्रस्तुत करेगी।
- 3.4.3 निरीक्षण समिति अथवा सचिव द्वारा आवेदन पत्र अथवा संस्थान में कोई कमी पाये जाने पर संस्थान को इस कमी की पूर्ति करने हेतु समुचित समय प्रदान करने के उपरान्त सम्बद्धता सम्बन्धी निर्णय लिया जायेगा।
- 3.4.4 सचिव निरीक्षण रिपोर्ट एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों के अध्ययन के उपरान्त अपनी अभिशंसा के साथ सम्पूर्ण कार्यवाही को अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
- 3.4.5 अभिशंसा एवं तथ्यों के अध्ययन के आधार पर निर्णय लेकर अध्यक्ष महोदय संस्था को सम्बद्धता प्रमाण पत्र जारी करेंगे।
- 3.4.6 प्रत्येक जारी की गई सम्बद्धता को मण्डल की आगामी बैठक में अनुमोदित करवा लिया जायेगा।

### 4. सम्बद्धता सम्बन्धी आवश्यकतायें व शर्तें :

- 4.1 संस्थान को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् तथा राज्य सरकार के अनुमति पत्र में वर्णित शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा।
- 4.2 संस्थान में अध्यापन के लिए आवश्यक आधारभूत ढाँचे, फर्नीचर, प्रयोगशालायें, कक्षा कमरे, मशीनें तथा उपकरण अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् / मण्डल के मापदण्डों के अनुरूप होने चाहिए।
- 4.3 संस्था की प्रबंध समिति में मण्डल द्वारा मनोनीत एक सदस्य समिलित करना होगा जिसे वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो प्रबंध समिति के अन्य सदस्यों को प्राप्त हैं। सदस्य का मनोनयन अध्यक्ष / सचिव द्वारा किया जायेगा।
- 4.4 संस्थान में पूर्ण रूप से सुसज्जित पुस्तकालय होना चाहिए। जिसमें संस्थान में चल रहे सभी पाठ्यक्रमों की पुस्तकें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् / मण्डल के मापदण्डों के अनुरूप होनी चाहिए।
- 4.5 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् / मण्डल के मापदण्डों के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्तियों को ही टीचिंग व नॉन टीचिंग पदों हेतु नियुक्त करना होगा एवं नियुक्त किये गये कर्मचारियों को राजकीय संस्थानों के समकक्ष कर्मचारियों को देय वेतन भत्तों के बराबर वेतन भत्ते देने होंगे।

- 4.6 निजी महाविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति में मण्डल का एक प्रतिनिधि होना आवश्यक है। प्रतिनिधि का मनोनयन अध्यक्ष / सचिव द्वारा किया जायेगा।
- 4.7 संस्थान में विद्यार्थियों का प्रवेश संयोजक केन्द्रीय प्रवेश समिति द्वारा ही किया जायेगा। संस्था द्वारा अपने स्तर पर किये गये प्रवेश मान्य नहीं होंगे।
- 4.8 सैद्धान्तिक / प्रायोगिक कक्षाओं के लिए प्रत्येक सेवशन / ग्रुप में विद्यार्थियों की संख्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद / मण्डल द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 4.9 अध्यापकों की संख्या एवं उनका टीचिंग भार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद / मण्डल के मानकों के अनुरूप होना चाहिए।
- 4.10 संस्थान को विद्यार्थियों से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फीस ही लेनी होगी।
- 4.11 संस्थान को मण्डल द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या के अनुरूप शिक्षण कार्य करवाना होगा।
- 4.12 संस्थान को विद्यार्थियों के उपस्थिति / सेशनल तथा अन्य ऐसे रिकार्ड जो विद्यार्थी को मण्डल की परीक्षा में बैठने के योग्य बनाते हैं का मण्डल के नियमानुसार संधारण करना होगा एवं आवश्यकता पड़ने पर मण्डल अथवा निरीक्षण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
- 4.13 संस्थान को मण्डल द्वारा समय समय पर प्रसारित नियमों, उप नियमों एवं दिशा निर्देशों का पालन करना होगा एवं मण्डल द्वारा बांधित सूचना अविलम्ब उपलब्ध करवानी होगी।
- 4.14 संस्थान, मण्डल द्वारा निर्धारित परीक्षा का मण्डल के नियमों एवं निर्देशानुसार सुचारू रूप से आयोजन करवायेंगे।
- 4.15 संस्था प्रधान संस्थान के आंतरिक प्रशासन एवं अनुशासन के लिए उत्तरदायी होंगे।
- 4.16 संस्थान में किसी भी प्रकार की रेगिंग की घटना नहीं होनी चाहिए। मण्डल, निर्देशालय, राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर रेगिंग रोकने के लिए जारी किये गये दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी।
- 4.17 संस्थान सभी प्रकार से व्यवस्थित, अनुशासित एवं सुसंचालित होनी चाहिए।
- 4.18 संस्थान द्वारा मण्डल को महाविद्यालय संचालन हेतु प्रचुर वित्तिय व्यवस्था के बारे में संतुष्ट करना होगा।
- 4.19 प्रत्येक संस्थान का प्रतिवर्ष मण्डल द्वारा नियुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया जायेगा जिसकी रिपोर्ट के आधार पर मण्डल उपयुक्त कार्यवाही करने में सक्षम होगा।

## 5. सम्बद्धता का वापस लिया जाना :

- 5.1 सचिव की सिफारिश पर संस्था प्रबंधन को सम्बद्धता वापस लेने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का समुचित अवसर देने के पश्चात् अध्यक्ष महोदय निम्नलिखित परिस्थितयों में संस्था की सम्बद्धता वापिस ले सकते हैं—
- 5.1.1 सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए संस्थान द्वारा कोई गलत सूचना देने पर।
  - 5.1.2 सम्बद्धता प्राप्त करने के पश्चात् यदि संस्था सम्बद्धता नियमों में विहित किन्हीं भी निर्बंधनों एंव शर्तों का पालन करने में विफल रहती हैं।
  - 5.1.3 यदि सोसाइटी प्रबंधन ने मण्डल से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना शैक्षिक संस्थानों को किसी अन्य भवन या स्थान पर स्थानांतरित कर दिया हो।
- 5.2 प्रारम्भ में संस्था को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसकी सम्बद्धता को विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए निलम्बित किया जायेगा, तत्पश्चात् संस्था द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि में संतोषप्रद सुधार प्रदर्शित करने पर सम्बद्धता जारी रखी जा सकती है। अन्यथा सम्बद्धता वापस ले ली जायेगी।
- 5.3 किसी संस्था को एक बार दी गई सम्बद्धता एक शैक्षणिक सत्र / पाठ्यक्रम की अवधि की समाप्ति तक जारी रहेगी, किन्तु गंभीर अनियमितता उजागर होने पर शैक्षणिक सत्र / पाठ्यक्रम की अवधि के बीच में भी सम्बद्धता वापिस ली जा सकती है।

#### **6. सम्बद्धता शुल्क :**

- 6.1 एक मुश्त एक बार पंजीकरण शुल्क (नवीन संस्था के लिए) रूपये 25000/-
- 6.2 सम्बद्धता शुल्क प्रति पाठ्यक्रम प्रतिवर्ष रूपये 5000/-
- 6.3 राजकीय संस्थानों में स्व.वित्त पोषीय आधार पर चलाये जाने वाले पाठ्यक्रमों के लिए सम्बद्धता शुल्क प्रति पाठ्यक्रम प्रति वर्ष रूपये 5000/-

#### **7. स्पष्टीकरण :**

- 7.1 मण्डल उपरोक्त नियमों में परिवर्तन, सुधार एंव आवश्यकतानुसार कुछ अंश जोड़ने अथवा हटाने में सक्षम है।
  - 7.2 एक बार सम्बद्धता वापिस लेने के पश्चात् संस्थान द्वारा सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए नया आवेदन करना होगा तथा वह संस्थान नवीन संस्थान मानी जायेगी।
  - 7.3 संस्था द्वारा किसी नये रथान पर शाखा खोलने के मामले में ऐसी शाखा को नयी संस्था कहा जायेगा और उसके लिए तदनुसार आवेदन करना होगा।
  - 7.4 अध्यक्ष का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
  - 7.5 किसी भी प्रकार के विवाद के लिए न्याय क्षेत्र जोधपुर होगा।
-

## APPLICATION FORM FOR AFFILIATION/RENEWAL OF AFFILIATION

S.NO.	DETAILS		INFORMATION							
1	NAME OF COLLEGE									
2	ADDRESS OF COLLEGE AS GIVEN IN AICTE LOA/EOA									
3	ADDRESS WHERE COLLEGE IS PRESENTLY RUNNING									
4	POSTAL ADDRESS OF THE COLLEGE									
5	STATUS OF THE BUILDING (OWN/RENTED)									
6	PHONE NO.OF COLLEGE									
7	E-MAIL ADDRESS OF COLLEGE									
8	NAME , ADDRESS & PHONE NO. OF SOCIETY/TRUST									
9	NAME & MOBILE NO.OF CHAIRMAN/TRUSTEE		NAME				MOBILE NO.			
10	BRANCHES RUNNING	S.NO	BRANCH	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
		1								
		2								
		3								
		4								
		5								
		6								
		7								
11	BRANCHES CLOSED WITH APPROVAL OF AICTE	S.NO	BRANCH	YEAR OF STARTING		YEAR OF CLOSING		NO. OF REG/EX STUDENTS STUDYING		
12	DETAILS OF AFFILIATION FEES	DD NO.				DATE		AMOUNT		
13	NAME & MOBILE NO. OF PRINCIPAL	NAME				MOBILE NO.				

SIGNATURE AND SEAL OF PRINCIPAL

GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
**BOARD OF TECHNICAL EDUCATION, RAJASTHAN, JODHPUR**

**Application Form for Affiliation /Renewal of Affiliation**

**1. Institute Particulars:-**

- 1.1 Name of the Institute \_\_\_\_\_  
1.2 Postal address \_\_\_\_\_  
1.3 E mail address: \_\_\_\_\_  
1.4 Fax & Phone Nos (With STD code) \_\_\_\_\_  
1.5 Ownership \_\_\_\_\_

**2. Particulars of Head of the Institute :-**

- 2.1 Name \_\_\_\_\_  
2.2 Home Address \_\_\_\_\_  
2.3 Phone No (With STD code) \_\_\_\_\_

**3 Particulars of Registered Committee/Trust in case of private Institute: -**

- 3.1 Postal address \_\_\_\_\_  
3.2 E mail address \_\_\_\_\_  
3.3 Phone No. & Fax No. (with STD code) \_\_\_\_\_

**4. Whether the institute and the course(s) to be commenced are approved by the Government of Rajasthan ?**

If yes, attach attested photo copy of approval letter. Government of approval letter.

no. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_.

**\*5 Whether the institute and the course(s) conducted are approved by AICTE ?**

If yes, attach attested photo copy of approval letter. AICTE approval letter.

no. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_.

**6. Particulars of affiliation fee/ renewal fee.**

Demand Draft No. \_\_\_\_\_ Dated \_\_\_\_\_ Amount \_\_\_\_\_

Drawn on \_\_\_\_\_  
(Name of bank)

**(Seal)**

**Name & Signature of the Head  
of the institute**

\*If the institute has been inspected by the AICTE for the purpose of according approval and the same is expected before the students are admitted the institute may apply in advance before 31<sup>st</sup> March for affiliation with the Board but the affiliation application will be considered only after the attested copy of AICTE approval letter is received in the Board.